



## मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सपोटरा जिला करौली  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी- श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उप जिला कलक्टर सपोटरा।

उनवान

रामोती पुत्री भौरया जाति काछी निवासी महमदपुर तहसील सपोटरा जिला करौली  
राजस्थान।

-वादीया

बनाम

1. गेंदया (फौत) ।
2. मनोहरी । पुत्रान सोन्या जाति माली
3. शिवचरण पुत्र घसीडया जाति महाजन।
4. केदारलाल पुत्र कुन्दन लाल जाति ब्राह्मण।
5. खिलाड़ी पुत्र गेंदया जाति माली। सभी निवासीयान महमदपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
6. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार सपोटरा जिला करौली(राज0)

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत:- बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर:- 78/11

निर्णय दिनांक:- 11.07.2017

वादीया की ओर से ..... एवं प्रतिवादीगण की ओर से .....की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 11.07.2017 को श्री राजपाल यादव आरएएस उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-दावा वादीया मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जाकर ग्राम महमदपुर की विवादित आराजी का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है।

1. रामोली पुत्री भौरया जाति माली सा0 देह के हिस्से मे ख0नं0 141/1 रकबा 15 बिस्वा रहेगा।
2. रामखिलाड़ी पुत्र गेंदया हि0 8890/21780, मनोहरी पुत्र सोन्या हि0 1/2 जाति माली योगेश कुमार पुत्र शिवचरण लाल गुप्ता हि0 2000/21780 सा0 देह के हिस्से मे ख0नं0 141/2 रकबा 16 बिस्वा रहेगा।
3. खसरा नं0 140 रकबा 02 बिस्वा गै0मु0चाह मे वादीया एवं प्रतिवादी सं0 १ व ५ का मुताबिक रिकार्ड यथावत रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 11.07.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

( राजपाल यादव )

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

सहायक कलक्टर सपोटरा

## वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
8. वाद पत्र के लिए स्टॉम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टॉम्प	
9. शक्ति पत्र के लिए स्टॉम्प		अर्जी के लिए स्टॉम्प	
10. प्रदर्शों के लिए स्टॉम्प		प्लीडर की फीस	
11. ....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
12. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
13. कमीश्नर की फीस		कमीश्नर की फीस	
14. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा जिला करौली

पीठरीन अधिकारी- श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उप जिला कलक्टर सपोटरा

मु०नं०	किस्म	ता०दायरा	ता० फाईनल निर्णय
78/11	दावा	12.10.11	11.07.17

रामोती पुत्री भौरया जाति काछी निवारी महमदपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

-वादीया

बनाम

1. गेंदया (फौत) ।
2. मनोहरी । पुत्रान सोन्या जाति माली
3. शिवचरण पुत्र घसीडया जाति महाजन।
4. केदारलाल पुत्र कुन्दन लाल जाति ब्राह्मण।
5. खिलाड़ी पुत्र गेंदया जाति माली। सभी निवारीयान महमदपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
6. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार सपोटरा जिला करौली(राज०)

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प अमरवाड़ मे तलब किये जाने से पेश हुई। प्रकरण को कैम्प कोर्ट मे रखा जाकर सुना गया। संक्षेप में वाद तथ्य वादीया इस प्रकार से है कि ग्राम महमदपुर तहसील सपोटरा की आराजी विवादित वादीया एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी का बंटवारा बाबत् किया गया दावा इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 30.03.16 द्वारा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार सपोटरा से बंटवारा स्कीम तलब की गई।

तहसीलदार सपोटरा के पत्रांक रालोअ/2017/353 दिनांक 11.07.2017 द्वारा बंटवारा स्कीम प्राप्त हुई, अवलोकन किया गया। दावा वादीया मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जाकर ग्राम महमदपुर की विवादित आराजीयात का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है।

1. रामोली पुत्री भौरया जाति माली सा० देह के हिस्से मे ख०नं० 141/1 रकबा 15 बिरवा रहेगा।
2. रामखिलाड़ी पुत्र गेंदया हि० 8890/21780, मनोहरी पुत्र सोन्या हि० 1/2 जाति माली योगेश कुमार पुत्र शिवचरण लाल गुप्ता हि० 2000/21780 सा० देह के हिस्से मे ख०नं० 141/2 रकबा 16 बिरवा रहेगा।
3. खसरा नं० 140 रकबा 02 बिरवा गै०मु०चाह मे वादीया एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 का मुताबिक रिकार्ड यथावत रहेगा।

बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न ट्रेस डिक्री का जुज रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 11.07.2017 सरे कैम्प कोर्ट सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजपाल यादव)

पीठरीन अधिकारी(एसडीएम)

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"  
सपोटरा जिला करौली (राज०)